

## **Regarding building of shelter homes for stray dogs to mitigate menace of dogs on the street**

श्रीमती कमलजीत सहरावत (पश्चिम दिल्ली) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लोक महत्व के एक महत्वपूर्ण एवं गंभीर मुद्दे पर दिलाना चाहती हूं। दिल्ली के रोज के अखबारों में एक खबर बहुत महत्वपूर्ण है। डीडीए के पार्क में छह साल की बच्ची को कुते ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अगर मैं सिर्फ सफदरजंग हॉस्पिटल के कुते के काटने के केसेज का जिक्र करूं तो वर्ष 2021 के पूरे एक साल में 63,600 केस थे। वर्ष 2025 में एक जनवरी से अभी जुलाई तक यानी सात महीने में 90,000 से अधिक केस हो चुके हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि पूरे भारत में जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स और निगम हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाए कि कुत्तों के लिए आश्रय घर बनाए जाएं और इसकी डेडलाइन भी केन्द्र सरकार की तरफ से तय की जाये। ये बुजुर्गों और बच्चों के लिए बहुत गंभीर विषय है। समय देने के लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूं। नमस्कार।